UPSR010001562026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

मिस. सिविल केस नं०-2/2026

1–अमरदीप उर्फ बब्लू

2–संदीप उर्फ पाण्डे

3–सुदीप उर्फ छोटू

4–रघुवीर उर्फ लाला

5–सुधीर उर्फ उधीर उर्फ नान्हू

पुत्रगण स्व0 कर्मवीर उर्फ बच्चन

6–मु0 शान्ती देवी उर्फ सावित्री देवी पत्नी स्व0 कर्मवीर उर्फ बच्चन

साकिनान–मोहल्ला–नई बाजार IInd कस्बा पोस्ट परगना व तहसील–भिनगा जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदकगण

बनाम

1–पंकज देव गुप्ता

2–विनोद कुमार गुप्ता

पुत्रगण स्व0 राधेश्याम गुप्ता

निवासीगण–मोहल्ला–नई बाजार IInd कस्बा पोस्ट परगना व तहसील–भिनगा जनपद–श्रावस्ती।

.....विपक्षीगण

दिनांक 12.03.2026

आवेदकगण अमरदीप उर्फ बब्लू एवं अन्य की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 24 व धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत विवादित सम्पत्ति भवन सं0 2473 स्थित मोहल्ला नई बाजार IInd कस्बा पोस्टा परगना व तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती के संदर्भ में प्रथम वाद स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संस्थित ओ0 एस0 नं0 273/2023 सिविल जज, अ0 ख0 श्रावस्ती वर्तमान ओ0 एस0 नं0 930/2024 पंकज देव गुप्ता आदि बनाम अमरदीप उर्फ बब्लू आदि ट्रांसफर होकर सिविल जज, प्र0 ख0 श्रावस्ती द्वारा द्वितीय वाद ओ0 एस0 नं0 78/

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.12 15:56:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2024 संस्थित न्यायालय सिविल जज, अ0 ख0 श्रावस्ती पर उक्त दोनों वाद वादी मुकदमा/विपक्षी द्वारा योजित किये गये हैं। उपरोक्त दोनों वाद वादी/विपक्षीगण ने नक्शानजरी दे करके विवाद वादीगण के मकान के पश्चिम तरफ व प्रतिवादीगण के मकान के पूरब बीच दीवाल का दर्शाया गया। दोनों वादों में विवाद की विषय वस्तु एक ही है तथा दोनों वाद न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड पर संस्थित किये गये हैं परन्तु ओ0 एस0 नं0 272/2023 संस्थित सिविल जज, अवर खण्ड से अन्तरित होकर के न्यायालय सिविल जज, प्र0 ख0 पर आ गया तथा द्वितीय वाद 78/2024 न्यायालय सिविल जज, अ0 ख0 पर ही रह गया। दोनों वादों में विषय वस्तु एक है तथा पक्षकार मुकदमा समान है। उक्त दोनों वाद में स्थगन आदेश वादी द्वारा प्राप्त किया गया है। न्याय हित में वास्ते इंसाफ दोनों वादों को एक ही अदालत पर चलना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मंजूर कर उपरोक्त दोनों वाद को एक ही अदालत पर स्थानान्तरित करने की याचना की गयी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दोनों वाद एक ही विषय वस्तु से सम्बन्धित है तथा दोनों वादों में विवाद समान पक्षकारों के बीच है। ऐसी दशा में दोनों वादों का एक ही न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3ए न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण अमरदीप उर्फ बब्लू एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3ए अन्तर्गत धारा 24 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड श्रावस्ती में लम्बित सामान्य वाद संख्या 78/2024 पंकज देव गुप्ता आदि बनाम अमरदीप उर्फ बब्लू आदि को वापस लेते हुए विधि अनुसार निस्तारण हेतु सिविल जज, प्रवर खण्ड, श्रावस्ती के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड, श्रावस्ती को अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक 12.03.2026

(राकेश धर दुबे)
जनपद न्यायाधीश
श्रावस्ती